मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 105 / 2024

जयसिंह वगै0 बनाम इमरती वगै0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार मीणा तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 6 की ओर से अधिवक्ता आम्रपाल भीमसरिया की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 09.04.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम मारिगसर पटवार हल्का नयासर तहसील झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 134 रकबा 1.40 है0 में जाने के लिए भूमि खसरा नं. 133 रकबा 1.39 है0 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण 4 मीटर चौड़ा व 76 मीटर लम्बा रास्ता कायम कर उसकी किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते में जाने वाली 304 वर्ग मीटर भूमि हेतु खसरा नं. 133 का रकबा 1.39 है0 की बजाय 1.3798 है0 तथा खसरा नं. 134 का रकबा 1.40 है0 की बजाय 1.3798 है0 किया जाये। भूमि खसरा नं. 133 में से वर्तमान खातेदारों का नाम हजफ किया जाकर उसे खाता संख्या 120 में खसरा संख्या 134 की जगह तथा खसरा संख्या 134 में से भी वर्तमान खातेदारों का नाम हजफ किया जाकर खाता संख्या 19 में खसरा संख्या 133 के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के आदेश दिये जाते हैं। खसरा संख्या 133 की खातेदारी खसरा नं. 134 के खातेदारों के नाम तथा खसरा संख्या 134 की खातेदारी खसरा नं. 133 के खातेदारों के नाम की जाये। जिस खातेदार की भूमि रहन है उसे उसी के घोषित हक हिस्से में कायम की जाये। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत की मोहर द्वारा मुर्तिब किया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा	10 1	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक	1
योग	11	योग	1

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू